

35/2020

फर्द अहकाम

24/8/20

(नियम 26)

4/11/20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

28/4

22/17

1. बन्ना पुत्र रामा जाति गुर्जर निवासी ग्राम अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

प्रतिवादी

किस्म मुकदमा - 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

2020/00/25



नंबर

81/2020

ऑन लाईन नंबर 2020/00....

वकील वादी श्री सुण्डाराम जाट

वकील प्रतिवादीगण

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
15.06.2020	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री सुण्डाराम जाट ने अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादी को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 09.07.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर) </p> <p>  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर) </p>	
24.08.2020	<p>पत्रावली पेय हुई। वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली का भवलोमन किया गया प्रतिवादी को नोटिस जारी नहीं पाये। पुनः नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 11.11.2020 को पेय हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर) </p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न
अ
स
त

8/6/14

पत्रावली भेज हुई। जजरील बंधकालम् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/की/अवकाश
पर ध्यान। पत्रावली पूर्व अधिमानुसारे
दिनांक 21/11/14 को भेजा है।

C.NO. 35/2000 खण्ड/हरकार

21/11/14

पत्रावली किमि हुई। वकील वादी अनुपस्थित।
वकील अनुपस्थित। वकील वादी को आदेश देना कि
सब शक शक कर तीन बार आवाज लगाया कि
किन्तु वे अनुपस्थित रहते हैं ना ही आवाज को उत्तर देते।
उप. हुमाई अतः वकील वादी अधिमानुसारे
उपरोक्त तथ्य प्रमाण एवम् अज्ञान के कारण
किन्तु पत्रावली पत्रावली अनुपस्थित नसेब
कर है।

पत्रावली अधिकारी
अध्याक्ष (अजमेर)

पत्रावली अधिकारी
अध्याक्ष (अजमेर)

पत्रावली अधिकारी
अध्याक्ष (अजमेर)